1774 656500 1757 26300

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

129416

स्टाम्प लिपिक
ला०नं० 55/2003
डाल्टनगंज (पलामू)

AO19695-
2-80
087
1969844

§1§ लेख्यकारी का नाम एवं पता :-

श्री भगवती सिंह पिता स्व० रामेश्वर सिंह जाति कोईरी, साकिन मौजा छेचानी, पोस्ट उदयपुरा-2, थाना तरहसी, प्रगने वो जिला पलामू पेशा खेती, भारतीय ।
पैन नं०- AGJPS-8532J.

§2§ लेख्यधारी का नाम एवं पता :-

श्रीमति ललीता देवी पति श्री भगवती सिंह कायम जाति कोईरी साकिन मौजा छेचानी, पोस्ट-उदयपुरा-2, थाना तरहसी जिला पलामू पेशा खेती वो गृहिणी नागरिकता भारतीय । पैन नं॰ BYJPD8302C.

सही भगवती सिंह सा॰ चार लाख पचास हजार रुपये 4,50,000.00 रु॰ नगद लेकर मवाजी 3 3/4 पौने चार डिसमिल जमीन मौजा बारालोटा का विक्री किया । मजमून पढ़कर खूब समझ लिया । ता॰ 21.01.2014

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

A 452833

(3) लेख्य प्रकार :- केवाला वयला कलामी (विक्रय पत्र)

(4) सरकारी निर्धारित मुल्य मो0- 6,56500/-(छ लाख छप्पन हजार पाँच सौ रुपये)

बाजारदेय मुल्य मो0- 4,50000/-(चार लाख पचास हजार रुपये मात्र)

दर आवासीय मो0- 1,75000/- रुपये प्रति डी0

(5) संपति:- मवाजी 0-03-$\frac{3}{4}$ (पौने चार डी0) जमीन टाँड आवासीय गृह निर्माण हेतु अंदर बाके मौजा बारालोटा, थाना मेदिनीनगर जिला पलामू में हकियत खरीदगी रैयती हासिल है जिसका केवाला नं0- 7245, बुक-I, भौलूम 211, पेज नं0- 233 से 250, सन् 2012 ई0 द्वारा श्रीमति मोना देवी से हासिल करके बराबर कायम वो काबिज दखिल चले आते है जो पार्ट प्लौट पार्ट होल्डिंग लेख्यधारी के साथ विक्री करते है। सब रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला रजिस्ट्री ऑफिस बमोकाम मेदिनीनगर, जिला पलामू। यह भूमि सी0 एन0 टी0 एक्ट से बाहर की भूमि है।

थाना नं0	तौजी नं0	खेवट नं0	हल्का नं0	मौजा

(Handwritten in margin: signatures; 21.01.2014; 21-01-2014)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

B 454223

खाता नं0	प्लोट नं0	रकबा	चौहदीवर्तमान
320	1679	0-03-$\frac{3}{4}$	उ0- जसोदा देवी
(तीन सौबीस)	(सोलह सौ उनासी)		द0- मीना देवी
			पु0- रास्ता
			प0- रास्ता

नाममालिक:- झारखंड सरकार वजरीए अंचलाधिकारी, मेदिनीनगर, जिला पलामू ।

विदित हो कि लेख्यकारी का जायदाद खाना नं0-5, वसोका हाजा के हकियत खरीदगी रैयती हासिल है जिसपर लेख्यकारी बराबर कायम वो काविज दखिल चले आते है । जायदाद सैमोवईया पर किसीतरह का कोई वारदेन या मामला नहीं किया है अर्थात हर हालत पाक वोसाफ निखालिस सिर दखल कब्जा में चला आता है ।

चूँकि लेख्यकारी को फिलहाल मकान मरम्मत करना वो खुदरिया हाथ पैंच रुपया देना निहायत जरूरी है जो खास अपने जेब से रुपये का प्रबंध होना गैरमुमकिन है ।

इसलिए लेख्यकारी अपने होश वो हवाश पेला दूसरे नाजायज सबसे बहकाने, सिखलाने, वो धमकाने, अपने बखुशी राजी वो रगवत से

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

B 454224

झारखण्ड JHARKHAND

बेचें वो जिस तरह लेख्यकारी को हक वो हकूक एवं दखल कब्जा हासिल है सो सब लेख्यधारी को हस्तांतरित कर दिये वो बाज आये वो दर गुजरे।

चाहिए कि उपर्युक्त संपति पर लेख्यधारी मकान बनावें हाता दिलावें, बाग-बगीचा लगावें, लैट्रीन-बनावें चाहें जिस तरह अपने मसरफ में दर लावें, ला सकते है। इसमें लेख्यकारी तथा उनके वारिसान को कोई आपत्ति नही है और न भविष्य में होगा।

अब लेख्यधारी असल केवाला को अंचल कार्यालय मेदिनीनगर में पेस कर दाखिल खारीज करा लेवें वो मालगुजारी साल ब साल अदायकर लगान रसीद हासिल कर लिया करें इसमें लेख्यकारी तथा उनके वारिसान को कोई आपत्ति नही है और न भविष्य में होगा।

लेख्यकारी जरसम्मन का कुल रुपये रजिस्ट्री के पहले ही वसूल पा लिये अब बावत जरसम्मन का एक भी खरमोहरा बाकी जिम्मे खरीदार के पास नही है और न भविष्य में होगा।

इसलिए लेख्यकारी अपना तमाम नफा वो नुकसान खूद सोच समझ कर बयोका केवाला वयला कलामी हाजा लिख दिया कि समय पर काम आवें वो भविष्य में प्रमाण रहे।

ललीता देवी

सही भगवती सिंह
दा0 21.01.2014

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

B 45422

झारखण्ड JHARKHAND

आज दिनांक 21/1/2014 ई0

टंकक-(विजय कुमार दुबे) मेदिनीनगर, पलामू ।

ला०नं० 55/2003
मेदिनीनगर (पलामू)

ललिता देवी

सही भगवती सिंह
ता० 21.01.2014

प्रमाणित किया किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका फोटो दस्तावेज में लगा है के बाएँ हाथ के अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है। मा० कृष्णा सिंह नाईक।

कातिब :- कृष्णा सिंह नाईक लाइसेंस नं०
55/03 मोकाम मेदिनीनगर
जिला - पलामू ।

ललिता देवी